धूपा आ/ आगार — **Ranjeet Kumar** ----------

According to Available Record Index- I I

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 ----01-01-2006---------- से ता0---13-12-2018------तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला .....**सम्पत्ति ऋण अवगार से मुक्त है।**----------

---------- चला है अतः ----------

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza-Sandalpur, Thana No.-11, Khata No.-102, Plot No.-1435, Tauzi No.-Bihar Sarkar, Area of Plot-7 Katha 7 Dhur.							

Scanned by CamScanner

...ि का विवरण व्यौरा का करें और भुगतान का अवधि दर्ज करें । बशर्ते को उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुर्क्त संव्यवहारों और अकभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अकभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण–पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर): Brajkishor Roy

(पदनाम): Amin Circle

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालयः– अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी

तारीखः --------14-12-2018----------

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 14/12/18

14/12/18

निबंधक का मुहर

टिप्पणी :– इस प्रमाण–पत्र में जो संव्यवहार और अकभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये है। आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेकशनस) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो पार्टिस (बाधनी) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवष्टियाँ देखना चाहते हों उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अंशभारों के प्रमाण–पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वंय करनी विहित फीस का भुगतान करने पर वहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वंय तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भ लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अकभ सत्यापन के बाद प्रामण–पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अकभारों की छूट के लिए तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक, पटना सिटी ।

नाप संख्या---------3890

दिनांक---------14/12/18

आवेदक श्री/श्रीमति --Ranjeet Kumar----------

का ऋणभार प्रमाण–पत्र द्वारा ----To, Area Manager, LIC Housing Finance Ltd., Jeevan Prakash Frase

Scanned by CamScanner